



मथुरा पुलिस



दिनांक 17.11.2025 OPERATION CONVICTION थाना हाईवे ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से अवैध गांजा रखने वाले अभियुक्त को 05 माह के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था । मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना हाईवे जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 803/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में आज दिनांक 17.11.2025 को माननीय न्यायालय सी०जे०एम० मथुरा द्वारा इस प्रकरण में विचारण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त आकाश पुत्र मान सिंह नि० आनन्दपुरी कालौनी बीएसए कालेज के पीछे गली नं० 03 थाना कोतवाली, मथुरा को 05 माह के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।